

[2024] 5 एस. सी. आर 462:2024 आई. एन. एस. सी 352

स्वामी वेदव्यासानंद जी महाराज (डी) थू एल.आर.

बनाम

श्याम लाल चौहान और अन्य

(सिविल अपील सं. 2024 का 5569-5570)

30 अप्रैल 2024

[ए.एस. बोपन्ना और सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील में प्रत्यर्थी संख्या 6 को अपीलार्थी के रूप में प्रतिस्थापित करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXII नियम 5 के तहत निर्धारित सही प्रक्रिया का पालन किया है।

हेडनोट्स

सिविल प्रक्रिया संहिता-आदेश XXII नियम 5-प्रतिस्थापन का महत्व-प्रतिस्थापन प्रतिस्थापित कानूनी प्रतिनिधियों को मृतक के दावे को चुनौती देने का अधिकार देता है।

अभिनिर्धारित किया गया: प्रतिस्थापन का एकमात्र उद्देश्य मामले को जारी रखना है-किसी मामले में एल. आर. के रूप में प्रतिस्थापन अपने आप में इस तरह से प्रतिस्थापित व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार नहीं देगा-यह केवल लंबित कार्यवाही में मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्रदान करता है-कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के सीमित उद्देश्य के बावजूद, इसका उतना ही महत्व है जितना कि यह प्रतिस्थापित कानूनी प्रतिनिधियों को मृतक के दावे को चुनौती देने का अधिकार देता है। [पैरा 10 और 11]

सिविल प्रक्रिया संहिता-आदेश XXII नियम 5-समझाया गया

आदेश XXII नियम 5 सी. पी. सी. आदेश देता है कि वादी या प्रतिवादी की मृत्यु के मामले में, यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति मृतक पक्ष का कानूनी प्रतिनिधि है या नहीं, तो अदालत पहले ऐसे प्रश्न का निर्धारण करेगी-इस नियम का प्रावधान केवल एक सक्षम प्रावधान है जहां अपीलीय अदालत प्रश्न का निर्णय लेने से पहले मामले को एक अधीनस्थ अदालत को अपने निष्कर्षों को दर्ज करने के लिए भेज सकती है, जिस पर अपीलीय अदालत द्वारा इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेते समय विचार किया जा सकता है। [पैरा 14]

सिविल प्रक्रिया संहिता-आदेश XXII नियम 5-प्रावधान को मृतक पक्ष को प्रतिस्थापित करने के लिए अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के प्रत्यायोजन के रूप में नहीं माना जा सकता है, बल्कि यह केवल प्रतिस्थापन के मुद्दे को अंततः तय करने में इसकी सहायता करने के लिए है।

अभिनिर्धारित किया: अधीनस्थ न्यायालय दिवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश XII, नियम 5 के तहत अधीनस्थ न्यायालय ने भेजे गए प्रतिवेदन पर विचार करते समय अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष पर विचार कर सकते हैं एवं तब कोई निष्कर्ष पर पहुँचने के पर्व अपने कारण बता सकते हैं। नियम 5 का परंतुक अपीलीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय की राय के बावजूद अपनी अलग राय बनाने का विवेकाधिकार देता है-इस परंतुक को मृत पक्ष को प्रतिस्थापित करने के लिए अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं माना जा सकता है, बल्कि यह केवल प्रतिस्थापन के मुद्दे पर अंततः निर्णय लेने में उसकी सहायता करने के लिए है-इस प्रकार, अपीलीय न्यायालय प्रतिस्थापन पर निर्णय लेते समय आदेश 22, सी. पी. सी. के नियम 5 के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट सामग्री को, यदि कोई हो, आपत्तियों के साथ ध्यान में रख सकता है अपीलार्थी का। [पैरा 17]

सिविल प्रक्रिया संहिता-आदेश XXII नियम 5-अपीलीय न्यायालय द्वारा सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया क्योंकि वह प्रत्यर्थी संख्या 6 के समर्थन में साक्ष्य और प्रतिस्थापन

पर अपना निर्धारण करते समय निचली अदालत की रिपोर्ट के खिलाफ आपत्तियों पर विचार करने में विफल रहा।

अभिनिर्धारित किया गया: उच्च न्यायालय, अपीलीय न्यायालय होने के नाते, दूसरी अपील में प्रत्यर्थी संख्या 6 को अपीलार्थी के रूप में प्रतिस्थापित करते हुए सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया-उच्च न्यायालय ने नियम 5 के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के पिछले आदेश को गलत पढ़ा है, क्योंकि वह प्रतिस्थापन पर अपना निर्धारण करते समय निचली अदालत की रिपोर्ट के खिलाफ आपत्तियों पर विचार करने में विफल रहा-उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 6 के दावे के समर्थन में साक्ष्य पर चर्चा नहीं की और न ही उसने ऐसे दावों पर दूसरे पक्ष की आपत्तियों पर विचार किया। [पैरा 13,15-16]

मामला कानून उद्धृत किया गया

जलादी सुगुना बनाम सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट [2008] 7 एससीआर 734 : (2008) 8 एस. सी. सी. 521-संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908।

मुख्य शब्दों की सूची

प्रतिस्थापन आवेदन; कानूनी प्रतिनिधि; प्रतिस्थापन का महत्व; अपीलीय न्यायालय; विवेकाधिकार।

मामले से उद्धृत

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: 2024 की सिविल अपील संख्या 5569-5570

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार जो निर्णय एवं आदेश दिनांकित 19.06.2019 में 1993 के एस.ए. संख्या 169 में आई.ए. संख्या 7 एवं 8 जो 2019 का था।

दलों के लिए उपस्थिति

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, सबरीश सुब्रमण्यम, विष्णु उन्नीकृष्णन, सी क्रांति कुमार, नमन द्विवेदी, दानिश सैफी, अपीलार्थियों के लिए अधिवक्ता

कृष्णन वेणुगोपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, विजय के. जैन, रोहित के. सिंह, प्रीतम विश्वास, अविनाश मैथ्यूज, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

अनुमति दे दी गई।

2. वर्तमान अपील पटना में उच्च न्यायालय न्यायाधिकार के समक्ष लंबित दूसरी अपील में एक आदेश से उत्पन्न होती है। हमारे विचार के लिए आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं:
3. प्रतिवादी सं. 1 से 4 तक एक दीवानी मुकदमे में वादी थे जहाँ स्वामी शिवधर्मानंद जी महाराज उर्फ व शंकर तिवारी (इसके बाद 'स्वामी शिवधर्मानंद' के रूप में संदर्भित) प्रतिवादियों में से एक थे। यह बिहार में स्थित मुकदमे की संपत्ति के संबंध में घोषणा की मांग करने वाला एक स्वामित्व वाद का मुकदमा था। मुकदमे को निचली अदालत ने 26.03.1991 को खारिज कर दिया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और मुकदमे का फैसला सुनाया। नतीजतन, प्रतिवादी स्वामी शिवधर्मानंद ने दूसरी अपील दायर की, जो अभी भी पटना उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। इस बीच दूसरी अपील दायर करने वाले प्रतिवादी का 20 मार्च, 1999 को निधन हो गया। स्वामी शिवधरमानंद के गद्दी के दो दावेदार या उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने दूसरी अपील में स्वामी शिवधरमानंद के स्थान पर प्रतिस्थापन की मांग की थी। ये थे (ए) स्वामी त्रियोगानंद जी महाराज उर्फ राम नारायण बिंद (इसके बाद 'स्वामी त्रियोगानंद' के रूप में संदर्भित) और (बी) स्वामी सत्यानंद जी महाराज उर्फ

रामजी सिंह (इसके बाद 'स्वामी सत्यानंद' के रूप में संदर्भित) जो वर्तमान अपील में प्रतिवादी नं. 6 थे। प्रारंभ में, पटना उच्च न्यायालय ने प्रतिस्थापन के उद्देश्य से निचली अदालत को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 के नियम 5 के तहत निर्धारित मामले में जांच करने का निर्देश दिया। निचली अदालत ने अपनी जांच की और पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जहां निष्कर्ष यह था कि स्वामी सत्यानंद (यानी, वर्तमान प्रतिवादी संख्या 6) स्वामी शिवधर्मानंद के कानूनी प्रतिनिधि (इसके बाद 'एल. आर.' के रूप में संदर्भित) हैं और उन्हें [2024] 5 एस. सी. आर. के रूप में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी। उक्त रिपोर्ट पर दूसरे पक्ष द्वारा आपत्तियाँ दायर की गईं, जो इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का पूर्ववर्ती हित है। पटना उच्च न्यायालय ने रिपोर्ट और आपत्तियों के आधार पर निर्णय देने के बजाय, 24.02.2009 को एक आदेश पारित किया, जिसमें दोनों पक्षों (स्वामी सत्यानंद और स्वामी त्रियोगानंद) को स्वामी शिवधर्मानंद के एल. आर. के रूप में प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी गई। पटना उच्च न्यायालय के इस आदेश को दोनों पक्षों (यानी स्वामी त्रियोगानंद और स्वामी सत्यानंद) ने इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। इस अदालत ने दिनांक 08.02.2018 के आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया था और मामले को पटना उच्च न्यायालय को भेज दिया था, जिसमें निचली अदालत की रिपोर्ट के साथ-साथ 'पक्षों की आपत्तियों' पर विचार करने और फिर दोनों पक्षों में से एक को अपीलार्थी के रूप में प्रतिस्थापित करने के निर्देश दिए गए थे, जिससे यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दो दावेदारों में से केवल एक को अपीलार्थी/प्रतिवादी के रूप में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

5. नतीजतन, उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.01.2019 का एक आदेश पारित किया जिसमें उसने कानूनी प्रतिनिधित्व पर निचली अदालत के निष्कर्षों को बरकरार रखा

और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्वामी सत्यानंद स्वामी शिवधर्मानंद के एल. आर. हैं। इस प्रकार, स्वामी सत्यानंद को लंबित दूसरी अपील में अपीलार्थी के रूप में प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया गया।

6. अब तथ्य यह है कि जब यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा 30.01.2019 को पारित किया गया था, तो स्वामी त्रियोगानंद का भी 04.12.2018 को निधन हो गया था और स्वामी त्रियोगानंद के एल आर को रिकॉर्ड पर लाने के लिए स्थगन की भी मांग की गई थी, लेकिन प्रतिस्थापन नहीं किया जा सका। पटना उच्च न्यायालय ने आगे बढ़कर स्वामी सत्यानंद के पक्ष में इस आधार पर आदेश पारित किया कि निचली अदालत ने अपनी रिपोर्ट में स्वामी सत्यानंद को अपीलार्थी-स्वामी शिवधर्मानंद का एल. आर. पाया है, और इसलिए मामले को और स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है।
7. इसके बाद, हमारे समक्ष अपीलकर्ता, यानी स्वामी वेदव्यासानंद जी महाराज (इसके बाद स्वामी वेदव्यासानंद के रूप में संदर्भित) ने 22.02.2019 को पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दो आवेदन दायर किए। पहला स्वामी त्रियोगानंद के स्थान पर खुद को प्रतिस्थापित करना था, जबकि दूसरा 30.01.2019 दिनांकित आदेश को वापस लेना था। इन दोनों आवेदनों यानी 2019 के आई. ए. संख्या 7 और 8 को लिया गया और 19.06.2019 पर विवादित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।
8. ऐसा करने में, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण यह हैं कि निचली अदालत ने एक जांच की थी और निष्कर्ष निकाला था कि मृतक स्वामी शिवधरमानंद का एल. आर. स्वामी सत्यानंद है। इस प्रतिवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया एवं परिणामतः स्वामी सत्यानंद को प्रतिस्थापित किया गया एवं स्वामी त्रियोगानंद का दावा को खारिज किया गया। चूँकि मृतक अपीलार्थी-स्वामी वेदव्यासानंद का दावा केवल स्वामी त्रियोगानंद के दावे पर आधारित है, इसलिए उच्च न्यायालय ने शायद उनके

प्रतिस्थापन आवेदन पर विचार करना भी उचित या आवश्यक नहीं पाया और इसलिए वापस बुलाए जाने के आवेदन के साथ प्रतिस्थापन आवेदन को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर स्वामी वेदव्यासानंद ने वर्तमान अपील दायर की थी। हमें यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आज जो मामला है वह यह है कि स्वामी वेदव्यासानंद का भी निधन हो गया है और अब स्वामी वेदव्यासानंद की कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाली साध्वी सरोजानंद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित दूसरी अपील में अपीलार्थी के रूप में प्रतिस्थापन की मांग कर रही हैं।

9. हमने दोनों पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील को विस्तार से सुना है और रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया है।
10. प्रतिस्थापन का एकमात्र उद्देश्य मामले को जारी रखना है। किसी मामले में एल. आर. के रूप में प्रतिस्थापन अपने आप में इस तरह से प्रतिस्थापित व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार नहीं देगा। यह केवल लंबित कार्यवाही में मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्रदान करता है। जलादी सुगुना बनाम सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट, (2008) 8 एससीसी 521 में इस सीमित अधिकार को इस प्रकार समझाया गया था:

“15. कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए आवेदन दायर करना, कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के बराबर नहीं है। जब एल. आर. आवेदन दायर किया जाता है, तो अदालत को इस पर विचार करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में उसमें नामित व्यक्तियों को मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए या नहीं। अदालत द्वारा इस तरह के निर्णय तक, कानूनी प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले व्यक्तियों को मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है, न ही मुकदमा चलाने या मामले

का बचाव करने का कोई अधिकार है। यदि इस बात पर विवाद है कि कानूनी प्रतिनिधि कौन है, तो ऐसे विवाद पर निर्णय लिया जाना चाहिए। केवल तभी जब कानूनी प्रतिनिधि का प्रश्न अदालत द्वारा निर्धारित किया जाता है और ऐसे कानूनी प्रतिनिधि को रिकॉर्ड पर लाया जाता है, तो यह कहा जा सकता है कि मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व किया जाता है। आदेश 22 नियम 5 के तहत कानूनी प्रतिनिधि कौन है, इसका निर्धारण निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व के सीमित उद्देश्य के लिए मृतक की संपत्ति का उस मामले के निर्णय के लिए होगा इस तरह के सीमित उद्देश्य के लिए इस तरह के निर्धारण से कानूनी प्रतिनिधि के रूप में रखे गए व्यक्ति को, संपत्ति का कोई अधिकार जो मुकदमे का विषय है, मृतक की संपत्ति के अन्य प्रतिद्वंद्वी दावेदारों की तुलना में प्रदान नहीं होगा। ”

11. कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के सीमित उद्देश्य के बावजूद, इसका उतना ही महत्व है जितना कि यह प्रतिस्थापित कानूनी प्रतिनिधियों को मृतक के दावे को चुनौती देने का अधिकार देता है।
12. वर्तमान मामले में, जब पक्षकार इस न्यायालय के समक्ष पहले आए थे, तो इस न्यायालय ने दिनांक 08.02.2018 के आदेश के माध्यम से दोनों पक्षों को सुनने के बाद, निचली अदालत की रिपोर्ट और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रतिनिधियों के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेज दिया था। इस न्यायालय के आदेश के बाद, उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.01.2019 के आदेश के माध्यम से यह निष्कर्ष निकालकर निचली अदालत के निष्कर्षों को बरकरार रखा था कि स्वामी सत्यानंद स्वामी शिवधर्मानंद के शिष्य हैं, जबकि अपीलकर्ता सहित स्वामी त्रियोगानंद के दावों को खारिज कर दिया था, जिन्होंने मृत स्वामी त्रियोगानंद के माध्यम से अपने अधिकार का दावा किया था। इसके अलावा, अपीलार्थी द्वारा

दिनांकित 30.01.2019 आदेश को वापस लेने के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलार्थी ने खुद को स्वामी त्रियोगानंद का शिष्य होने का दावा किया और उच्च न्यायालय ने पहले ही स्वामी त्रियोगानंद के दावे को खारिज करने का फैसला कर लिया है। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि 30.01.2019 का आदेश स्वामी त्रियोगानंद की मृत्यु के बाद और लंबित प्रतिस्थापन आवेदन पर विचार किए बिना पारित किया गया था।

13. हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने स्वामी सत्यानंद (प्रतिवादी संख्या 6) को अपीलार्थी के रूप में प्रतिस्थापित करते हुए और अपीलार्थी के पूर्ववर्ती यानी स्वामी त्रियोगानंद के दावे को खारिज करते हुए सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

हम स्वामी सत्यानंद के मामले में सही प्रतिनिधि होने पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम केवल उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा करते समय अपनाई गई प्रक्रिया पर हैं।

14. सी. पी. सी. का आदेश 22 नियम 5 इस प्रकार है:

“कानूनी प्रतिनिधि के रूप में प्रश्न का निर्धारण। – जहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति मृत वादी का कानूनी प्रतिनिधि है या नहीं या एक मृतक प्रतिवादी, ऐसे प्रश्न न्यायालय द्वारा निर्धारित होंगे:

बशर्ते कि जहाँ ऐसा प्रश्न किसी अपीलीय न्यायालय के समक्ष उत्पन्न होता है, वह न्यायालय, प्रश्न का निर्धारण करने से पहले, किसी अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्न का परीक्षण करने और ऐसे विचारण में दर्ज साक्ष्य, यदि कोई हो, तो उसके निष्कर्षों और कारणों के साथ अभिलेखों को वापस करने का निर्देश दे सकता है और अपीलीय न्यायालय प्रश्न का निर्धारण करते समय उसी पर विचार कर सकता है। ”

यह नियम अनिवार्य करता है कि वादी या प्रतिवादी की मृत्यु के मामले में, यदि कोई सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति मृतक पक्ष का कानूनी प्रतिनिधि है या नहीं, तो अदालत पहले ऐसे प्रश्न का निर्धारण करेगी। इस नियम का प्रावधान केवल एक सक्षम प्रावधान है जहां अपीलीय न्यायालय प्रश्न पर निर्णय लेने से पहले मामले को अपने निष्कर्षों को दर्ज करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को भेज सकता है, जिस पर अपीलीय न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेते समय विचार किया जा सकता है।

15. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने पहले अपील की सुनवाई के उद्देश्य से दोनों दावेदारों को मृतक प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में प्रतिस्थापित करके गलती की थी और इस प्रकार, इस अदालत द्वारा दिनांकित 08.02.2018 आदेश के माध्यम से मामले को रिमांड पर ले लिया गया था। हमें डर है कि उच्च न्यायालय ने फिर से नियम 5 के साथ-साथ हमारे आदेश को भी गलत पढ़ा है, क्योंकि वह प्रतिस्थापन पर अपना निर्धारण करते समय निचली अदालत की रिपोर्ट के खिलाफ आपत्तियों पर विचार करने में विफल रहा है।

16. दिनांकित 30.01.2019 आदेश में, उच्च न्यायालय इस न्यायालय के आदेश की व्याख्या करता है जैसे कि जांच में कानूनी प्रतिनिधि पाए जाने वाले व्यक्ति को प्रतिस्थापित करने का अनुरोध किया गया था:

“माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 22 नियम 5 के तहत आयोजित जांच में जो व्यक्ति मृतक-अपीलार्थी का कानूनी प्रतिनिधि पाया जाता है, उसे प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 6 के दावे के समर्थन में साक्ष्य पर चर्चा नहीं की और न ही इस तरह के दावों पर दूसरे पक्ष की

आपतियों पर विचार किया। इसके अलावा, अदालत के समक्ष पहले से ही एक और प्रतिस्थापन आवेदन लंबित था जिस पर विचार नहीं किया गया था।”

17. नियम 5 के प्रावधान में यह नहीं कहा गया है कि अपीलीय न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को इस प्रश्न पर निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है कि कानूनी प्रतिनिधि कौन होगा, यह केवल यह प्रावधान करता है कि अपीलीय न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्न का परीक्षण करने और साक्ष्य के साथ अभिलेखों को अपीलीय न्यायालय को वापस करने का निर्देश दे सकता है और अधीनस्थ न्यायालय को तब अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर एक तर्कपूर्ण राय के रूप में एक रिपोर्ट भेजनी होती है, जिस पर सभी प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद अंततः अपीलीय न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाना होता है। सी. पी. सी. के आदेश 22 नियम 5 के तहत अधीनस्थ अदालत द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर विचार करते समय, अपीलीय अदालत अधीनस्थ अदालत के निष्कर्षों पर विचार कर सकती है और फिर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपने कारण बता सकती है। शब्द 'अपीलीय न्यायालय' प्रयुक्त 'प्रश्न' के निर्धारण में उसी पर विचार कर सकता है नियम 5 का परन्तुक अपीलीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय की राय के बावजूद अपनी अलग राय बनाने का विवेकाधिकार देता है। परंतुक को मृत पक्ष को प्रतिस्थापित करने के लिए अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं माना जा सकता है, बल्कि यह केवल प्रतिस्थापन के मुद्दे को अंततः तय करने में इसकी सहायता करने के लिए है। इस प्रकार, अपीलीय न्यायालय अपीलार्थी के प्रतिस्थापन पर निर्णय लेते समय रिपोर्ट के खिलाफ आपतियों, यदि कोई हों, के साथ आदेश 22, सी. पी. सी. के नियम 5 के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट सामग्री पर विचार कर सकता है।
18. इसलिए, हम 19.06.2019 और 30.01.2019 दिनांकित आदेश को दरकिनार करते हैं, और प्रतिस्थापन पर एक नए निर्णय के लिए मामले को उच्च न्यायालय को वापस

भेजते हैं। हम दोहराते हैं कि हमने दावेदारों के सापेक्ष दावों के गुण-दोष पर कुछ नहीं कहा है, हमारी चिंता और मामले को फिर से वापस भेजने के हमारे कारण केवल प्रक्रिया पर थे।

19. तदनुसार, इन अपीलों का निपटान लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, के साथ किया जाता है।

द्वारा तैयार किया गया हेडनोट:

मामले का नतीजा:

मुकुंद पी उन्नी, होनी, एसोसिएट एडिटर

अपीलें निस्तारित

(द्वारा सत्यापित: लीज़ मैथ्यू, वरिष्ठ अधिवक्ता)

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।